**कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा में राज्य मंत्री) (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन):** (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार की, लक्ष्मी बाई नगर में कोई शाखा नहीं है तथा वहां कोई शाखा खोले जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है। फिर भी, केन्द्रीय भण्डार के दो शाखा भण्डार (ब्रांच स्टोर) सरोजिनी नगर में, एक आइ॰एन॰ए॰ कालोनी में, एक नौरोजी नगर में तथा एक अन्य पूर्वी किदवई नगर में है। ये सभी भण्डार (स्टोर), लक्ष्मी बाई नगर के आस-पास हैं तथा इस कालोनी के निवासियों की आवश्यकताएं पूरी करने में सेवारत हैं।

**Profit Earned by Kendriya Bhandar**

2140. CHAUDHARY CHUNNI LAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kendriya Bandar is earning crores of rupees every year; and

(b) if so, the total accumulated profits earned by the Bhandar as compared to the Super Bazar and the NCCF?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) The Kendriya Bhandar has been continuously making profits since 1981-82.

(b) The details of accumulated profit/loss in respect of Kendriya Bhandar, NCCF and Super Bazar upto 1997-98 are given hereunder:—

| | (Rs. in crores approximately) |
|---|---|
| Kendriya Bhandar | (+) 10.80 |
| NCCF | (-) 38.49 |
| Super Bazar | (-) 02.26 |

**ग्रुप "क" और "ख" सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति**

2141. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संविधान में संशोधन किए जाने के बावजूद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण का, विशेषकर पदोन्नति के मामले में, लाभ नहीं मिल पा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" में उनके लिए आरक्षित अधिकांश पदों को अक्सर अनारक्षित कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दलित वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नतियों में, विशेषकर ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" के पदों पर, आरक्षण प्रदान करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाएगी?

**कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा में राज्य मंत्री) (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन):** (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। सीधी भर्ती के संबंध में आरक्षित रिक्तियों के वि-आरक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध है। पदोन्नति के कोटे में भरी नहीं जा सकीं आरक्षित रिक्तियों को अस्थाई तौर पर बदल कर, सीधी भर्ती के कोटे में कर दिए जाने के बारे में अनुदेश भी मौजूद है तथा वि-आरक्षण का सहारा केवल अन्तिम उपाय के रूप में ही लिया जाना अपेक्षित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Special Incentives for Posting in North-Eastern Region**

2142. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of special incentives offered to Central Government officers to attract them for posting in the North-Eastern Region;

(b) whether all such incentives are equally applicable to the employees also;

(c) if not the clauses applicable;

(d) whether the facilities like special duty allowance, retention of official accommodation both in Delhi and NER have yielded better result; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) With a view to